60

माननीय सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी Am-1339-III-16

मदनलाल पिता रामकिशन उम्र 65 वर्ष धंधा खेती निवासी- महादेव सहारा बजरंग नगर काकड़ मंदिर के पास मांगलिया तह. सांवेर जिला इन्दौर

.................निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्ध

1. चम्पालाल पिता रामकिशन उम्र 60 वर्ष धंधा धंधा खेती निवासी- महादेव सहारा बजरंग नगर काकड़ मंदिर के पास मांगलिया तह. सांवेर जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. श्रीमती मनुबाई पति स्व. कैलाश
3. पप्पु पिता स्व. कैलाश
4. वकील पिता स्व. कैलाश

   निवासीगण-ग्राम पटाड़ी तह. बरोठा जिला देवास
5. श्रीमती मायाबाई पिता स्व. कैलाश पति सत्यनारायण निवासी -ग्राम सिरोलिया तह. व जिला देवास
6. श्रीमती कोमल पिता स्व. कैलाश पति सुभाष निवासी-ग्राम केलोद तह. महू जिला इन्दौर
7. श्रीमती भागवंताबाई विधवा मुरारीलाल
8. संतोष पिता स्व. मुरारीलाल
9. कैदार पिता स्व. मुरारीलाल
10. मुकेश पिता स्व. मुरारीलाल
11. महेश पिता स्व. मुरारीलाल

.........प्रतिनिगरानीकर्ता /अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 29.4.16 को प्रस्तुत 29-4-16 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्र. 581/16 अपील आदेश दिनांक 04.04.2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर प्रस्तुतः-

प्रकरण के तथ्य

यह कि, निगरानी कर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता के नाम एक कृषि खाता सर्वे नं. 148/1 रकबा 0.25 सर्वे नं. 148/3 रकबा 1.13 हे. कुल 1.38 हे. के

निरंतर 02

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1339/तीन/2016 जिला–उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2-5-16	यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 581/2016 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है। तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश पारित किया है। अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवास के समक्ष अपील प्रस्तुत की है जो एक पक्षीय रूप से सुनवाई की जाकर अपील स्वीकार की गयी है जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष द्वितीय अपील संहिता की धारा 52 स्थगन आवेदन के साथ प्रस्तुत की है। जो अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा सुनवाई हेतु ग्राह्य की गयी है किन्तु सुविधा का सन्तुलन आवेदक के पक्ष में नहीं पाये जाने पर स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है ओर स्थगन के अभाव में उसे कब्जे से बेदखल कर दिया जायेगा। जिससे उसे	

अपूर्णनीय क्षति होगी इस संबंध में उन्होने 1991 आर.एन. 236 एवं 1971 आर.एन. 462 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये अतः उनका अनुरोध है कि अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष विचाराधीन अपील में आगामी तीन माह का स्थगन आदेश दिया जाये।

3– अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के आदेश से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा अभिलेख आहूत करने तथा रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये गये है किन्तु उन्होने आवेदक का स्थगन आवेदन इस आधार पर निरस्त किया है कि स्थगन आवेदन में सुविधा का सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं है। अपील का निराकरण अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा किया जाना है और विचारण न्यायालय का आदेश आवेदक के पक्ष में है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा सन्तुलन आवेदक के पक्ष में है। न कि अनावदेक के ऐसी स्थिति में प्रकरण में आगामी तीन माह का स्थगन आदेश जारी किया जाना चाहिये था। न्यायहित में उचित प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष विचाराधीन अपील के दौरान आगामी तीन माह का स्थगन आदेश दिया जाये।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को निर्देशित किया जाता है कि वे विचाराधीन अपील में

	आगामी तीन माह तक अनुविभागीय अधिकारी देवास के प्रकरण क्रमांक 03/13-14 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 का क्रियान्वयन तीन माह तक स्थगित रखते हुये वे अपील प्रकरण का निराकरण आगामी तीन माह में करें। इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है। सदस्य	